रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245636
CG-DL-E-03052023-245636

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1944] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
No. 1944] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/VAISAKHA 13, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2032(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 में का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण चंडीगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, चंडीगढ़ कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1. डॉ. सृष्टि पाल वासुदेव, अध्यक्ष;
 सेवानिवृत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, हिमाचल प्रदेश
2. डॉ. आर.एस. सैनी, महाप्रबंधक, सदस्य;
 ग्रीन इकोनॉमी इनिशेटिव प्राईवेट लिमिटेड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रीन इकोनॉमी कॉईलेशन फाऊडेशन

Generated from eOffice by TUNTUN KUMAR SINGH, ASO(TKS)-IA-III, ASSISTANT SECTION OFFICER, MOEFCC on 18/05/2023 11:20 AM

3.	निदेशक, पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, चंडीगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, चंडीगढ़ अपने विनिश्चय चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए इस अधिसूचना द्वारा गठित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति जिसे इसमें इसके पश्चात्)एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ कहा गया है(की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, चंडीगढ़ की सहायता के प्रयोजन के लिए चंडीगढ़ सरकार के परामर्श से एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

(i)	डॉ. एच.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश	-अध्यक्ष;
(ii)	डॉ वरिन्दर सिंह कंवर, उप कुलपति, चिटकारा विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	सदस्य;
(iii)	डॉ. अनूप वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एन्वायरमेंट, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, पटियाला	सदस्य;
(iv)	डा. अल्का शर्मा ग्रोवर, उपाध्यक्ष, डीएवी ग्लोबल स्कूल, पटियाला, डीएवी मैनेजिंग कॅमेटी, नई दिल्ली	सदस्य;
(v)	डॉ वाई.के. रावल, अध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ जूलोजी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	सदस्य;
(vi)	डा. नीरज खत्री, वैज्ञानिक (वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक)प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टैक्नोलॉजी, चंडीगढ़	सदस्य;
(vii)	डा. डेजी रानी बाटिश, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	सदस्य;
(viii)	डॉ देविन्दर सिंह, प्रो वाइस चांसलर,चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	सदस्य;
(ix)	श्री दिनेश तिवारी, वैज्ञानिक ई, केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चंडीगढ़	सदस्य;
(x)	प्रदूषण नियंत्रण कमेटी चंडीगढ़ के प्रतिनिधि (सीपीसीसी) (वैज्ञानिक ई)	सदस्य;
(xi)	वैज्ञानिक 'एसडी' पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य सचिव।

6. एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण, चंडीगढ़ और एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

Generated from eOffice by TUNTUN KUMAR SINGH, ASO(TKS)-IA-III, ASSISTANT SECTION OFFICER, MOEFCC on 18/05/2023 11:20 AM

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोगी नहीं लेंगे,जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण, चंडीगढ़ और एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण, चंडीगढ़ और एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, चंडीगढ़ और एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ की बैठक से बचाव करेंगे।

8. एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

9. एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. चंडीगढ़ राज्य सरकार, प्राधिकरण चंडीगढ़ और एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

11. प्राधिकरण, चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता चंडीगढ़ राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-13/1/2023-आई.ए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2032(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government considers it necessary or expedient so to do, hereby constitutes the State/UT Level Environment Impact Assessment Authority, Chandigarh (hereinafter referred to as the Authority, Chandigarh) comprising of following persons, namely:-

(i)	Dr. Srishti Pal Vasudeva, Retired as Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh	-	Chairman;
(ii)	Dr. R.S. Saini, Managing Director, Green Economy Initiatives Private Limited & CEO Green Economy Coalition Foundation	-	Member;
(iii)	Director, Department of Environment, Chandigarh Administration	-	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Generated from eOffice by TUNTUN KUMAR SINGH, ASO(TKS)-IA-III, ASSISTANT SECTION OFFICER, MOEFCC on 18/05/2023 11:20 AM

3. The Authority, Chandigarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Chandigarh shall take its decision on the recommendations of the State/UT Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the SEAC, Chandigarh) constituted for the Union Territory of Chandigarh by this notification.

5. To assist the Authority, Chandigarh, the Central Government in consultation with the Government of Chandigarh, hereby constitutes the SEAC, Chandigarh comprising of the following persons, namely: -

(i)	Dr. H.C Sharma, Retired as Principal Scientific Officer from Himachal Pradesh State Pollution Control Board	-	Chairman;
(ii)	Dr. Varinder Singh Kanwar, Vice Chancellor, Chitkara University, Himachal Pradesh	-	Member;
(iii)	Dr. Anoop Verma, Associate Professor and Head, School of Energy and Environment, Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala	-	Member;
(iv)	Dr. Alka Sharma Grover, Vice Chairperson, DAV Global School, Patiala, DAV Managing Committee, New Delhi	-	Member;
(v)	Dr. Y.K Rawal, Chairman, Department of Zoology, Punjab University, Chandigarh	-	Member;
(vi)	Dr. Neeraj Khatri, Scientist (Senior Principal Scientist)/ Professor at Institute of Microbial Technology, Chandigarh	-	Member;
(vii)	Dr. Daizy Rani Batish, Professor, Department of Botany, Punjab University, Chandigarh	-	Member;
(viii)	Dr. Devinder Singh, Pro Vice Chancellor, Chandigarh University	-	Member;
(ix)	Sh. Dinesh Tiwari, Scientist E, Central Ground Water Board, North Western Region, Chandigarh.	-	Member;
(x)	Representative of Chandigarh Pollution Control Committee (CPCC) (Scientist E)	-	Member;
(xi)	Scientist 'SD', Department of Environment, Chandigarh Administration	-	Member-Secretary.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority, Chandigarh and SEAC, Chandigarh -

(a) shall declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Chandigarh and the SEAC, Chandigarh during their tenure; and

(ii) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Chandigarh and SEAC, Chandigarh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Chandigarh and SEAC, Chandigarh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

8. The SEAC, Chandigarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The SEAC, Chandigarh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

IndiaCode

Generated from eOffice by TUNTUN KUMAR SINGH, ASO(TKS)-IA-III, ASSISTANT SECTION OFFICER, MOEFCC on 18/05/2023 11:20 AM

10. The State Government of Chandigarh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Chandigarh and the SEAC, Chandigarh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Chandigarh and the Chairman and Members of the SEAC, Chandigarh shall be paid in accordance with the applicable rules made by the Government of Chandigarh.

[F. No.IA3-13/1/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Generated from eOffice by TUNTUN KUMAR SINGH, ASO(TKS)-IA-III, ASSISTANT SECTION OFFICER, MOEFCC on 18/05/2023 11:20 AM